



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक:- 13.07.2026

थाना बकेवर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक-12.07.2026 को थाना बकेवर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु०अ०स०-69/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बकेवर फतेहपुर से संबंधित वांछित अभियुक्त अंशू गुप्ता पुत्र स्व० सत्यनारायण गुप्ता निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र लगभग 32 वर्ष को शकूराबाद तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 13.07.2026 को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अंशू गुप्ता पुत्र स्व० सत्यनारायण गुप्ता निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र लगभग 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- मु०अ०स० 69/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बकेवर जनपद फतेहपुर
- मु०अ०स० 146/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बकेवर जनपद फतेहपुर
- मु०अ०स० 523/23 धारा 498ए/506 भा०द०वि० थाना पुरवा जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ०नि० मो० नौसाद थाना बकेवर जनपद फतेहपुर
- हे०का० मुकेश कुमार सिंह
- का० धर्मेन्द्र
- का० नरेन्द्र सिंह